

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2025—भाद्र 17, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8591-156-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२५

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

[दिनांक ३ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के कॉलम (२) में, शब्द "विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन" के स्थान पर, शब्द "सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन" स्थापित किए जाएं.

विक्रम विश्वविद्यालय के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाना.

३. किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२५ के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, या अन्यथा जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों, बनाए गए नियमों, उपविधियों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, विहित प्रमाण-पत्रों, उपाधियों, उपाधिपत्रों या किन्हीं भी अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उनमें विक्रम विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश हों.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8591-156-इक्कीस-अ (प्रा.).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 17 OF 2025

**THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2025**

[Received the assent of the Governor on the 3rd September, 2025; assent first published in the
“Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 8th September, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of
India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan)
Adhiniyam, 2025.

Short title and
commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh
Gazette.

2. In column (2) of Part I of the Second Schedule to the Madhya Pradesh
Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the principal
Act), for the words "Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain" the words "Samrat Vikramaditya
Vishwavidyalaya, Ujjain" shall be substituted.

Amendment
of Second
Schedule.

3. All notifications, orders, rules, byelaws, statutes, ordinances, regulations, certificates,
degrees, diplomas or any other document whatsoever issued, made or prescribed under any
enactment, which immediately before the commencement of the Madhya Pradesh
Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 were in force or otherwise, shall be con-
strued as if references therein to the Vikram Vishwavidyalaya were references to the Samrat
Vikramaditya Vishwavidyalaya.

Construction of
references to
V i k r a m
Vishwavidyalaya.